मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 – सहायता राशि / लाभ

इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि (Mukhyamantri Kanya Sumangla Scheme Financial Aid) विभिन्न चरणों में लाभार्थी बेटियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से सीधे जमा कराई जाएगी।

---

1. बालिकाएँ जिनका जन्म 01/04/2019 या इसके बाद हुआ है उन्हे पहली किस्त 2,000 रुपए की मिलेगी

---

2. जिनका जन्म 01/04/2018 या इसके बाद हुआ है उन्हे टीकाकरण के समय दूसरी किस्त 1,000 रूपये की मिलेगी
3. पहली कक्षा में बेटी के प्रवेश के समय तीसरी किस्त 2,000 रूपये की मिलेगी
4. जब लड़की छठी कक्षा में पहुँचती है तब चौथी किस्त 2,000 रूपये की मिलेगी
5. जब लड़की कक्षा 9वीं में पहुंचेगी तब 3,000 रुपए की किश्त बैंक खाते में दी जाएगी
6. जब लड़की ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में प्रवेश करेगी तब 5,000 रुपए दिये जाएंगे
7. लड़की की शादी के समय 7 वीं किस्त, जिसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है

---

1. आवेदक को सबसे पहले यूपी कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के मेनपेज पर ‘Quick Links’ के सेक्शन में जाकर ‘Citizen Services Portal’ के ऑप्शन में “**Apply Here**” पर क्लिक करना है।
3. जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको यूसर नाम और पासवर्ड से कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन लॉगिन करना है।
4. अगर आप यूपी कन्या सुमंगला योजना के लिए नया पंजीकरण व रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो “**I Agree (मैं सहमत हूँ)**” पर क्लिक करना है।
5. जिसके बाद कन्या सुमंगला योजना यूपी का आवेदन पत्र ऑनलाइन खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है।
6. जिसके बाद कन्या सुमंगला योजना यूपी का आवेदन पत्र ऑनलाइन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे की आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर आदि भर

कर नीचे दिये गए “**Send OTP**” के बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण फॉर्म सबमिट कर देना है।

आवेदक परिवार यह ध्यान रखें की बेटी के जन्म के 6 महिनें के अंदर-अंदर इस योजना के लिए आवेदन करदे वरना वह स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा।